

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2025 — ज्येष्ठ 9, शक 1947

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35/167/2025-TRANSPORT.— राज्य शासन एतद्वारा, विभागीय अधिसूचना दिनांक 31-08-2022 द्वारा छत्तीसगढ़ कार्यपालिक नियम (Rules of Business) भाग पाँच-2 क, (एक) एवं (दो) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू की गई है। उक्त पॉलिसी के सरल क्रमांक 12.1 खरीदी के लिए प्रोत्साहन में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

- उक्त नियम के पैरा-2 में "'1.50 लाख'" के स्थान पर "'रूपये 1.00 लाख प्रतिस्थापित किया जाए।
 - उक्त नियम के पैरा-2 के ठीक पश्चात "रूपये 20 लाख से ऊपर के वाहनों पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी" अतःस्थापित किया जाए।
 - उक्त नियम के पैरा-3 में उल्लेखित वाक्यांश "हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन को पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहन को दिये जाने वाले खरीदी प्रोत्साहन राशि के 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे।" के स्थान पर "किसी भी प्रकार के हाईब्रिड वाहनों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी।" प्रतिस्थापित किया जाए।
- यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विधायिका ऋषि पाण्डेय, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 मई 2025

क्रमांक GENCOR-35/167/2025-TRANSPORT.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई, 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विधायिका ऋषि पाण्डेय, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 29th May 2025

NOTIFICATION

No.GENCOR-35/167/2025-TRANSPORT.— The State Government hereby, by exercising the powers conferred in Chhattisgarh Executive Rules (Rules of Business) Part V-2 A. (one) and (two) by the departmental notification dated 31-08-2022, has implemented the Electric Vehicle (EV)Policy. In clause number 12.1 of the said policy, the following further amendments are made in the incentive for purchase, namely:-

AMENDMENT

1. In para-2 of the said rule, in place of " 1.50 lakh", "Rs. 1.00 lakh" should be substituted.
2. Immediately after para-2 of the said rule, "Subsidy will not be given on vehicles above Rs. 20 lakh" should be added.
3. In para-3 of the said rule, the phrase "Hybrid electric vehicles will be eligible to receive 50 percent of the purchase incentive amount given to a fully electric vehicle." should be replaced with "No subsidy will be given to any type of hybrid vehicles." This notification shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANSHIKA RISHI PANDEY, Deputy Secretary.